

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक- वि०प्रा०(IV) यो०-06/2020-
सेवा में,

/पटना, दिनांक-

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
वीरचन्द पटेल पथ,
बिहार, पटना।

विषय - विभागान्तर्गत नव स्थापित राजकीय पोलिटेकनिक, औरंगाबाद के नवनिर्मित स्थायी परिसर में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा 500 KVA HTS-I विद्युत संबद्धता एवं मीटर के अधिष्ठापन के लिए पर्यवेक्षण शुल्क एवं जी०एस०टी० सहित कुल रू०-7,22,213.00 (सात लाख बाईस हजार दो सौ तेरह रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, औरंगाबाद के पत्रांक-96 दिनांक-27.12.2019 के माध्यम से उपलब्ध कराये गए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, औरंगाबाद का पत्रांक-2201 दिनांक-26.12.2019 के द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर डिपोजिट वर्क अंतर्गत संस्थान के स्थायी नये परिसर में बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा 500 KVA HTS-I विद्युत संबद्धता एवं मीटर के अधिष्ठापन के लिए पर्यवेक्षण शुल्क एवं जी०एस०टी० सहित कुल रू०-7,22,213.00 (सात लाख बाईस हजार दो सौ तेरह रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

- उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष-2019-20 के राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष -4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष -02 तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-104-बहुशिल्प, मांग संख्या-43 उपशीर्ष-0102-पोलिटेकनिक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय" के अधीन -5301 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड-43-4202021040102 है।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संस्थान के प्राचार्य होंगे।
- इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, औरंगाबाद से की जायेगी।
- उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष-2019-20 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।
- यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758/वि० दिनांक-31.05.2017 क आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है। सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन इसी संचिका के पृ०-01/टि० पर प्राप्त है।
- वित्त विभाग के पत्रांक-7355 वि० (2), दिनांक-05.10.2007 अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(मिर्जा आरिफ रजा),
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- वि०प्रा०(IV) यो०-०६/२०२०-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक- वि०प्रा०(IV) यो०-०६/२०२०-

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक- वि०प्रा०(IV) यो०-०६/२०२०-

प्रतिलिपि- प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, औरंगाबाद को उनके पत्रांक-९६ दिनांक-२७.१२.२०१९ के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

/पटना, दिनांक-१८/२/२०

ज्ञापांक- वि०प्रा०(IV) यो०-०६/२०२०-

प्रतिलिपि- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव /उप निदेशक (यो०)/बजट सहायक/आई०टी० मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

18/2/20